DOI: 10.51220/hjssh.v4i1.8

Himalayan J. Soc. Sci. & Humanities, Vol 4 pp. 79-90, 2009

मध्य-कालीन कुमाऊँ में प्रचलित नेग और दस्तूर

नीर प्रभा

इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत

Received 27-02-2009 Accepted 21-11-2009

ABSTRACT

प्रस्तुत शोधपत्र का आधार स्रोत कुमाऊँ के उत्तरवर्ती क्षेत्रा सीरा (जिला पिथौरागढ़ की डीडीहाट तहसील) से प्राप्त भू-राजस्व सम्बन्धी पुस्तिकायें हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में 'बहियाँ' कहा गया है। ये बहियाँ संख्या में 5 हैं, इनमें से 4 बहियाँ सीरा के बत्यूली गाँव निवासी स्व0 पंडित धर्मानन्द जोशी से प्राप्त हुई है। चारों बहियाँ संभालकर सुरक्षित रखी गयी थी, किन्तु पांचवी बही जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभूत सामग्री सम्पन्न है, का प्रयोग सर्दी से बचने के लिए जाले (रोशनदान या गवाक्ष) को ढकने के लिए किया गया था। यह बही डॉ. राम सिंह अवकाश प्राप्त प्राचार्य रा0स्ना0महा0 लोहाघाट, पिथौरागढ़ के संग्रह से प्राप्त हुई है।

Keywords :- *कुमाँयू, मध्यकालीन, नेग, दस्तूर*

प्रथम चार बहियों के स्वामी रत्तू जोशी के वंशधर हैं, जिन्हें मध्यकालीन कुमाऊँ में शासन करने वाले रैका-मल्ल, बसेड़ा शासकों के समय से 'बयाल' (राजदरबार में लेखन कार्य करने वाले) का प्रतिष्ठित पद मिला हुआ है। सभी प्राप्त बहियों में स्थानीय कागज का प्रयोग हुआ है। आंवले को पकाकर घर में बनायी गयी स्याही से सुंदर रिंगाल की नोकदार लेखनी से स्पष्ट तथा सुंदर अक्षरों में इनकी रचना हुई है। इनमें पहाड़ी अथवा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें कुमाउनी भाषा के लिखित रूप के विकसित हो रहे स्वरूप का नमूना मिलता है।

इन बहियों के विवरणों का मिलान तत्कालीन शासकों द्वारा दिये गये भूमिदान पत्रों, उपलब्ध अन्य लिखित साक्ष्यों एवं कुमाऊँ में प्रचलित रीति रिवाजों से करने पर उनकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है। इन बहियों में जिन स्थान-नाम, रीति-रिवाज और घटनाओं का ब्यौरेबार विवरण दिया गया है उसका सम्बन्ध काली और पूर्वी रामगंगा के बीच उत्तरी कुमाऊँ के दारमा-ज्वार, तिब्बत तक सटे भारतीय प्रदेश से है, जो प्राचीन मल्लों का सीरा वर्तमान डीडीहाट राज्य था। अपनी सम्पन्नता एवं विपुल आय स्रोतों के कारण सीरा रैका-मल्ल राज्य का सिर कहलाता था।

'बही' शब्द से ही बयाल की उत्पत्ति है। बयाल लोग जैसा कि बहियों से स्पष्ट होता है, सीरा के कोट या किले में बैठकर विधिवत ढंग से राज्य के कर स्रोत, कर-निर्धरण, उसकी मात्रा, प्रशासन व्यवस्था, राज्यादेश तथा प्रजाजनों से नियत नेग-दस्तूर, नीति-सीति, राग-भाग आदि को लिखित रूप

© SHARAD

प्रदान करते थे। बहियों के पुराने पड़ जाने पर अथवा फट जाने पर पुनः इनका नवीनीकरण किया जाता था, इसलिए इनका कलेवर बढ़ता दिखायी देता है। साधारणतः पाँचों बहियों के विवरणों में विशेष अन्तर नहीं है।

पाँचों बहियों को शोध सामग्री की दृष्टि से क्रमबद्ध किया गया है।

बही क्रमांक	पृष्ठ संख्या	लम्बाई/चौड़ाई
1	67	26" x 6½"
2	35	51" x 8"
3	133	25½" x 8½"
4	27	31" x 6½"
5	24	26" x 8½"

प्रस्तुत शोध पत्र में बहियों के आधर पर मध्यकालीन कुमाऊँ में प्रचलित नेग और दस्तूरों को उल्लेख किया गया है। वर्तमान संदर्भ में 'नेग' या 'दस्तूर' का तात्पर्य कोई रस्म या रिवाज से है, जिसे हम प्रथा भी कह सकते हैं, अर्थात् परम्परागत रूप से जो प्रथा चली आ रही है उसका पालन करना। यह पालन नाम मात्र की वस्तु से भी पूर्ण हो जाता है। आज भी व्यवहारिक जीवन में कुमाउनी लोग दस्तूर अथवा नेग के सन्दर्भ में 'बांकी नै, बस दस्तूर भ्यो!' अर्थात् अधिक नहीं, बस ये केवल दस्तूर भर है, वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। तात्पर्य यह कि दस्तूर निभा भर लेना है। आवश्यक नहीं कि उतना ही देय हो, जितना परम्परा से चला आ रहा हो। इसी प्रकार गांव में 'पधन' और 'थोकदारों' को विशेष अवसरों पर बकरा, हेलवाण, लाखा, बोका देने का दस्तूर था, जो अब मात्र नारियल के रूप में पूर्ण किया जाता है। उसे भी बहुत कुछ विशेष प्रकृति के लोग बस छूकर पुनः वापस कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि बस दस्तूर को जीवित भर रखना है। किसी व्यक्ति विशेष को बकरी देना सम्मान का सूचक है। ग्राम प्रधान या 'पधन' को सम्मानित करने का तात्पर्य है, पूरे गांव का सम्मानित करना। इसी भांति 'थोक' जाति अथवा समुदाय प्रमुख 'थोकदार' को सम्मानित करने का तात्पर्य है, सम्पूर्ण समुदाय को आदर देना। आज भी सीमांतवर्ती गांवों में शादी-विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर यह परम्परा देखी जाती है।

मध्यकालीन कुमाऊँ में नेग या दस्तूर की स्थिति वर्तमान समय से सर्वथा भिन्न थी। समकालीन प्राप्त ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययन के बाद यह तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि उस समय

नेग या दस्तूर राज्यारोपित कर था। जैसे 'देस' नामक प्रशासनिक इकाई का प्रधान अधिकारी सीरदार का भरण पोषण राज्य द्वारा निर्धरित वेतन के स्थान पर राज्य के दौरों पर मिलने वाली दस्तूरियों (नीत) से हुआ करता था[1]। उसके अधिकार एवं कर्तव्य इस प्रकार रखे गये थे कि वह प्रजाजनों पर अपनी वसूली सम्बन्धी अधिकारों से बोझ न बन जाय। पूरे 'देस' का उच्च अधिकारी होने के कारण वह समय-समय पर दौरे करता था और दौरों के काल में उसे किसानों से निर्धारित नेग, दस्तूर मिलता था[2]। इसी नेग, दस्तूर को बहियों में अंकित किया गया है। यह राजकीय आज्ञा से असामी या प्रजा से वसूल किया जाता था। उस समय दस्तूर बस! इनता ही! नहीं, बल्कि बस! इतना ही? था। कर-दाताओं के लिए आवश्यक था कि उनसे जिस वस्तु की मांग की जाय उसे तुरन्त हाजिर किया जाय[3]। इस संदर्भ में जैतुवा ढोली का उदाहरण दर्शनीय है-

सीरा के 'देस' में जैतुवा ढोली अपना दस्तूर वसूल करने के लिए लोगों के दरवाजे पर बैठ जाता था और अधिकाधिक नेग की मांग कर असामियों को तंग करता था। अतः परेशान होकर प्रजा ने उसकी शिकायत की और राजा ने उसके लिए आदेश दिया कि 'अपनी खुशी जो ज्या दे ततुकै समौनो, उपत नी करनी[4] अर्थात् अपनी प्रसन्नता से जो जितना दे उतना ही लिया जाए, उपद्रव न किये जाएं।

मध्यकालीन कुमाऊँ में शासन करने वाले रैका तथा चन्द शासन काल में कर संग्रह करने वाले अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी अनेक प्रकार के नेग तथा दस्तूरों को वसूल करने के लिए अधिकृत थे। ताम्रपत्रीय साक्ष्यों[5] से इस बात की पुष्टि होती हैं। इन्हें अतिरिक्त करों की संज्ञा भी दी जा सकती है। ये अतिरिक्त कर-नेग-दस्तूर राजकीय दौरों के अतिरिक्त विशेष उत्सव, पर्व, त्यौहार एवं अवसर पर विशेष उपहार के रूप में लिये जाते थे। इन उपहारों का निश्चित अंश उन्हें राजदरबार में जमा करना पड़ता था। इसी भांति के अतिरिक्त कर लेने की परम्परा मुगलों के शासनकाल में भी दिखायी देती है। मुगलों के आधीन जमींदार मालगुजारी के हिस्से के अतिरिक्त अनेक प्रकार के उपकर लेने के लिए अधिकृत थे। यद्यपि इस प्रकार के उपकरों से होने वाली आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें मालगुजारी के साथ ही जमा करना पड़ता था[6]।

'नेगी' शब्द की उत्पत्ति इसी नेग से है। नेगी नामक पदाधिकारी छोटे-छोटे पद से लेकर बड़े-बड़े पद पर भी नियुक्त रहता था। जैसे कि चन्द राजकुमार भी नेगी कहे गये हैं और ग्राम स्तरीय अधिकारी भी नेगी कहे जाते थे[7]। चन्द राजा जिनको नेग यानि स्थिर कर वसूल करने का अधिकार

देते थे वह नेगी कहलाता था, चाहे वह ब्राह्मण हो, राजपूत या खश राजपूत[8]। जो बहादुरी का काम करता था वह बहादुर नेगी कहलाता था[9]। खालसा गांव में उसे कुछ दस्तूर मिलता था[10]। राज्य की ओर से नेगियों को राजस्व का जो कुछ भाग मिलता था उसे 'नेगी चारी'[11] कहते थे। गढ़वाल में कहावत प्रचलित है-'नेगी मन पर नेगीचार नीमन अर्थात् नेगी को समाप्त कर दो, लेकिन उसकों दी जाने वाली राशि/ दस्तूर समाप्त नहीं होनी चाहिए[12]।

गढ़वाल में ब्राह्मण नेगी का उल्लेख नहीं मिलता।[13] इस पद पर केवल राजपूतों की नियुक्ति होती थी जो किसी भी व्यक्ति विशेष की सेवाओं पर प्रदान किया जाता था[14]। मेदिनी शाह ने सेनापति तुवंर को बुटौलागढ़ की विजय पर बुटौला नेगी बनवा दिया[15]। प्रारम्भिक समय में नेगी जाति या वर्ण विशेष के व्यक्ति नहीं वरन व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित थे। जैसे कूतिया नेगी (कूत नामक कर का अनाज भरने वाला), पुरणिया नेगी (कर संग्रह सम्बन्धी खाना पूरी करने वाला), तामाघर का नेगी (ताम्र भंडार का उत्तरदायी), दारूघर का नेगी (बारूद, सोरा गन्धक इत्यादि की जिम्मेदारी रखने वाला व्यक्ति), सेउकन का नेगी (स्थानीय सेवकों का ब्यौरा रखने वाला व्यक्ति), बुतकरान का नेगी, हाथी का नेगी, कारखाण का नेगी, बोखली का नेगी, कुमाऊँ का नेगी, पफल्दाकोट का नेगी, बारामण्डल को गर्खा नेगी, आठमंडल गंगोली को गर्खा नेगी, सीरा का नेगी, नरवाहन गुसांई (राजकुमार) आदि का उल्लेख अभिलेखीय साक्ष्यों[16] में मिलता है। गर्खा (प्रान्त की छोटी इकाई) का प्रशासक होने के नाते कर-संग्रहण, आय-व्यय, भूमि सम्बन्धी लेखा जोखा का दायित्व गर्खा नेगी के पास रहता था[17]। इनके लिए अलग से वसूल किया जाने वाला अतिरिक्त कर उनका 'नेग' कहलाता था। मूलतः नेग तथा दस्तूर में कोई अन्तर नहीं है। यह नेग तथा दस्तूर दोनों असामी अथवा देनदारों (करदाताओं) की सुविधानुसार लिया जाता था। नेग लेने वाले कर्मचारियों के लिए 'नेगारू'[18] शब्द प्रयुक्त किया गया है।

प्राप्त बहियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सीरा पर चन्द शासकों का आधिपत्य हो जाने पर उन्होंने अपने पूर्ववर्ती रैका, मल्ल, बसेड़ा शासकों के समय से लिए जाने वाले नेग व दस्तूरों को नियमित रखा। उन्होंने पूर्वोक्त शासकों के समय से चली आ रही नेग/दस्तूरों की परम्परा से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया[19]। इसी प्रकार पूर्ववर्ती रैका मल्ल शासकों द्वारा दिये गये भूमिदानों में न तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया और न पुनराग्रहण। उनके शासनकाल से चले आ रहे अधिकतर सम्पन्न वर्ग को पहले की तरह ही भू-उपभोग की स्वतंत्रता थी।

चन्द राज्यों में 'देस' सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी[20]। सीरा चन्द राज्य का सबसे बड़ा प्रान्त

होने के साथ ही अत्यधिक आमदनी वाला क्षेत्र भी था। इसीलिए रैका शासक हरिमल्ल ने सीरा को अपने राज्य को सिर कहाँ है[21]। सोने जैसी बहुमूल्य धातु को भोटिया और शौका व्यापारियों द्वारा तिब्बत से लाया जाता था[22]। इस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रधान प्रशासकीय अधिकारी सीरदार था। स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक नेग तथा दस्तूर सीरदार के लिए जाते थे। राज्य द्वारा उसे समस्त प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। इन्हीं लिखित साक्ष्यों में एक नियमावली[23] प्राप्त हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि अधिनस्थ कर्मचारियों को उसकी आज्ञा के उल्लंघन करने पर उसके द्वारा दंडित करने का अधिकार था- "ठाकुर ज्यु ले मया चेती नीत बादी दीनी ये नीत है सीरदार चौगर्खिया मनसरा प्रहरी बाजनिया उघाईदार नेगी कुतिया नेगी चाकर जो बड़ती कर सीरदार तै कन हाथ लगौनो डाट गिरी करनी....." शाके 1572 (1650 ई.)। प्रत्येक 'देस' में सीरदार के अधिकतर चाहे वह करारोपण के हों या दैशिक व प्रशासनिक मामलों में सदैव समान रहते थे। यह भिन्न बात है कि वे अपनी अधिनस्थ क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप भिन्न-भिन्न वस्तुओं के रूप में कराधन व्यवस्था का निर्माण स्वयं करते थे। राजकीय आदेशों की अवहेलना करने पर उसे दण्डित कर पदमुक्त कर दिया जाता था जैसा कि पूर्वोक्त नियमावली से ज्ञात होता है-".....सीरदार बिगावत हाजर बीती लेखी सजाई समेत सीरदार दूर करनो.....।

'देस' में सीरदार का दौरा बड़े आलीशान ढंग से होता था। प्रत्येक 'देस' में जब नया सीरदार नियुक्त होकर आता था तो उसकी अधिशासित क्षेत्र की सीमा पर बने "सांगु" (झूला-पुल) पर उसे बकरियाँ दस्तूर में दी जाती थी ("सांग में को बाकरो कुमालन पड़...")। इन बकरियों की व्यवस्था स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा की जाती थी[24]। ब्राह्मण इस अवसर पर बकरी के बदले उसे सुपारी भेंट करते थे। यह उसके विशेष सम्मान का सूचक था। उसकी डांडी (डोली, पालकी) की व्यवस्था की जाती थी। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उसकी डांडी को उठाने के लिए जिन सेवकों की व्यवस्था की जाती थी वे सवर्ण जातियों के (ब्राह्मणों के अतिरिक्त) होते थे। सीरदार के साथ बयाल, उघाईदार नेगी भी जाते थे। अतः इनकी व्यवस्था भी इसी भांति की जाती थी। इस अवसर पर उनके लिए अलग से नेग नियत रहता था। सीरदार के साथ चलने वाला बयाल लेखन कार्य करता था, उघाईदार नेगी करों का संग्रह करता था, कुतिया नेगी कूत नामक कर का अनाज भरता था। सारा अन्न का भंडार भंडारी के जिम्मे रहता था। विभिन्न चाकर अथवा सेवक उसके साथ रहते थे, जो इस कार्य में उसकी सहायता करते थे[25]।

उसके साथ उसकी टहल सेवा के लिए सेवक तथा भोजन बनाने के लिए रस्यारा (रसोईया) साथ चलते थे। उनके लिए भी अलग से नेग/दस्तूर लिया जाता था। प्रत्येक कर देने वाले और कर-मुक्त कैनी (कृषक भू-स्वामी) को एक-एक लाखा, बोका, हेल्वाण तथा ब्राह्मणों को 'रोठा की छापरी' देनी पड़ती थी। सम्भवतः ब्राह्मण वर्ग मांसाहारी नहीं था, इसीलिए मांस या बकरी के रूप में कर भी नहीं देता था। इसके बदले में उसे एक छापरी (टोकरी) विशुद्ध घी-दूध में पके सुस्वाद एवं सुपाच्य पकवान देने पड़ते थे[26]।

शाके 1572 बही विवरणों से ज्ञात होता है कि सीरा में यह करमुक्त भू-स्वामी वर्ग (अकरा कैनी) ने सीरदार को सीरा आगमन पर बकरियां दस्तूर में दी थी। वे अकरा कैनी थे- सान कन्याल राठ, भीयाँ बोरा राठ, चार राठ देउपा, सौन राठ, ने राठ, बेनिया राठ। इसी प्रकार ब्राह्मणों ने भी यह दस्तूर दिया था जिनमें थे- उपाध्याय राठ, पंथ राठ, चलमोड़ी जोशी राठ, बिछुराल, मलासिम, मसमोलिया, बजकुड़िया, बत्तूलिया, दड़मोलिया और अगन्यारी जोशी इत्यादि। इन सबने सीरदार के लिए एक-एक सुपारी और बकरी के बदले एक-एक रोठा की छापरी प्रदान की थी। इसी अवसर पर सीरा के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँवों के भू-स्वामी वर्ग (कैनियों) से उसके लिए 'पलाग' दस्तूर में ली गयी थी[27] जो इस प्रकार थी-

काछ 3 दारमा से
काछ 3 मुनस्यारी से
काछ 3 ज्वार से
मसा 8 परथोला से
मसा 4 चुपफाल देस से

'देस' अथवा अधीनस्थ क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायिक पेशेवर वर्गों से उन्हीं के द्वारा निर्मित वस्तुओं को नेग अथवा दस्तूर के अंतर्गत लिया जाता था। उदाहरणार्थ सीरा के सीरदार के लिए अजड़ा नामक गांव में जो पत्तों का कार्य करने वाले 'पारकी' जाति रहती थी, उसके लिए यह आवश्यक था कि वह मालू के पत्तों की छाता बनाकर दस्तूर में दे[28]। उसे विभिन्न अधिकारियों के निमित्त निर्धारित मालू की छाता बनाकर देनी पड़ती थी। जिसका विवरण निम्नवत है-

1 मालू के पत्तों की छाता सीरदार की,
1 छाता बयाल की,

1 सेलखणिया (प्रशासनिक अधिकारी की) तथा

1 छाता नेगी (कर-संग्राहक) की।

ननकुड़ी में रहने वाले लौहारों को घोड़े की रांसी, उपयोग की वस्तुऐं- जांती, डाढू, पंढ्यौला, सगढ़ इसी प्रकार अनेक कृषि सम्बन्धी उपकरण देने पड़ते थे। भैस्यूड़ी में रहने वाले भूलों (असर्ण सेवक) को डपफू[29] (चमड़े से मड़ा वाद्य यंत्र) देने पड़ते थे।

विभिन्न पवित्र धर्मिक पर्व व्रतादि अवसरों पर जैसे निर्जला एकादशी, भादो शुकुली, हरि बाधनी, माघ शुकुली, शिवरात्रि को गड़ेरी (घुय्यां), तरूड़ (आलू की तरह स्वाद वाला जंगली कंद), इत्यादि फलाहार स्थानीय देउपा नामक समुदाय को तथा बजाणी नामक स्थान पर रहने वाले लोगों को हिसालू (खट्टे-मिठ्ठे स्वाद वाला जंगली फल) तथा ढुंग नामक गांव में रहने वाले ढुंगालों को लिगुड़ा (ल्यूणा शाक) देना पड़ता था। बीजकोट, कंडेरा, खैतोला, ककुरौली आदि गांवों को चार सेर से छः सेर तक गुड़ इस अवसर पर देना पड़ता था[30]।

इसी भांति छयासराद (श्राद्ध कर्म), पार्वण श्राद्ध, आश्विन नौर्ता, कार्तिक नौर्ता, चैत्राष्टमी पर घी, तिल, तेल, लाखा, बोका तथा मधु देना पड़ता था। जिसे वसूल करने वाले अधिकारी अपनी इच्छानुसार अधिक वसूल करने लगे थे। बाद में राजा दीप चन्द ने उपरोक्त देय वस्तुओं की मात्रा निश्चित कर दी थी।

इसी प्रकार अधीनस्थ क्षेत्र की खानों पर भी सीरदार का दस्तूर नियत रहता था। समकालीन प्रामाणिक विवरण से ज्ञात होता है कि तांबे की खान में उसका दस्तूर इस प्रकार नियत रहता था[31]-

1 सेर की 1 कटोरी,

4 सेर का 1 पतीला,

4 सेर का 1 परात,

6 सेर का 1 घड़ा

इसे 'आंगर में सीरदार को दस्तूर' लिखा गया है। इसी प्रकार का दस्तूर बयाल तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी नियत रहता था। इसी प्रकार दारमा-ज्वार जो कि शौका व्यापारियों का क्षेत्र था से उनके द्वारा निर्मित ऊनी वस्त्रों के रूप में यह दस्तूर लिया जाता था[32]। बयाल के लिए दारमा के सभी गार्खों से 1 पंखी 4 हाथ वाली (चौरतिया कामलौ), 1 कम्बल, 2 फेसुवा (सम्भवतः चुटका गर्म उपयोगी ओढ़ने बिछाने का वस्त्र) तथा 6 मसा सोना लिया जाता था[33]। इतना ही नेग भंडारी

तथा बयाल के रसयारे के लिए लिया जाता था[34]। राज्याधिकारियों के लिए जाने वाले नेग में कभी-कभी शौका (भोटिया) जाति के गर्खों से नमक की मात्रा भी शामिल रहती थी, जो 4 तामी से लेकर 8 तामी तक होता था। गोलदार (सम्भवत: सैनिक अधिकारी) के लिए यह नेग 1 पंखी, 1 चौरजिया कम्बल, 1 फेसवा, 1 बकरी तथा 6 बेला नमक लिया जाता था। इसी प्रकार से राज्य के प्रहरी (पहरी) बाजनियां (बादर्क) के लिए 6 रत्ती सोना, 3 पफेसुवा तथा 9 तांमी नमक और 2 कुकुड़े (मुर्गी) नेग में लिए गये थे[35]। इसी अवसर पर मुनस्यारी के गॉव- पापड़ा, बरणियां, तुमिका, जोस्याल, भंडारी, बड़ेतीन, गोल्पफा, चुलकोट, रीगाल, ढीमढीम, बुईपातो से 4-4 बेला नमक, 2-2 पुला (गट्ठर) भोजपत्र तथा 1-1 मोष्टा (रिंगाल निर्मित चटाई) लिया गया था[36]।

न्याय सम्बन्धी क्रियाविधियों एवं विभिन्न संस्कारिक धर्मिक अवसरों पर भी नेग तथा दस्तूर की परम्परा का निर्वाह किया जाता था। जब दीव्य का कारा-दीव्य सम्बन्धी कार्यवाही होती थी तो उसमें सम्मिलित लोगों के लिए इस प्रकार से दस्तूर नियत रहता था[37]-

15 पैंसा उपाध्याय ब्राह्मण, जो धार्मिक कार्य कराये

8 पैंसा धर्म-पत्र का पाठ लिखने वाला बयाल

4 पैंसा धर्म-पत्र के श्लोक के लिए

4 पैंसा देवकोट को चौगर्खिया-चौगर्खा का सेवक का

4 पैंसा राजकोट का मनसरा-मनसरा सेवक का

4 पैंसा कुंवरी (राजकुंवर के लिए)

4 पैंसा पहरी-बाजनिया सेवकों के लिए-संदेश वाहक तथा उद्घोषकों के लिए जो कार्यवाही के प्रारम्भ तथा समापन की सूचना वाद्ययंत्र बजाकर देते थे।

4 पैंसा लोहार के लिए-जो लोहे को तप्त अथवा गरम करता था

1 पैंसा जिमि को-जिस भूमि में उक्त कार्य सम्पन्न हो रहा हो

1 पैंसा सेलागागरी ब्राह्मण, जो जल पात्र स्थापित करता था

1 पैंसा खसिया सेवक, जो अभियुक्त को न्याय हेतु तप्त लोहा पकड़ाये

1 पैंसा गरिया सेवक, जो पवित्र वेदिका के लिए मिट्टी लाता था।

1 पैंसा असवर्ण सेवक के लिए नियत था, जो उक्त कार्य के लिए शारीरिक श्रम (छरमालो) करे या दौड़ धूप करे।

इसी प्रकार जब किसी 'देस' में सीरती या भू-राजस्व का लेखा-जोखा होता था, तो इस अवसर पर कार्य करने वाले विभिन्न राजकीय सेवकों के लिए नेग लिया जाता था[38], जिसकी मात्रा नियत रहती थी। प्राप्त अभिलिखित विवरणों से ज्ञात होता है कि उक्त अवसर पर निम्नांकित व्यक्तियों के लिए इस प्रकार से नियत मात्रा में नेग लिया गया था-

पैंसा 280-श्री गुंसाई ज्यू (महाराज कुमार के लिए)

पैंसा 210-सीरदार के लिए

पैंसा 140-गर्खा नेगी के लिए

पैंसा 80-बयाल के लिए

पैंसा 66-करमुक्त बूढ़ों (प्रशासनिक अधिकारी, जिन्हें सैनिक अधिकार भी प्राप्त थे) की दगेली के रूप में।

पैंसा 112-बारबीसी के कैनी (कृषक) प्रमुखों की 'झगुली' के रूप में

पैंसा 43-तल्ली माली के कैनियों के लिए

पैंसा 27-कसाण के कैनियों के लिए

पैंसा 9-हाट-साहू की दगेली के रूप में

सीरा के 'देस' में पहला लड़का होने पर और पहली लड़की के विवाह उत्सव पर 6-6 पैंसा पहरी-बजनिया को 'लसम' अथवा 'रस्म' के रूप में देना पड़ता था। इसी प्रकार अंगद गैड़ा जो पहरी-बाजनिया की तरह ही एक सेवक था, 4 पैंसा लसम पाता था। प्रतीत होता है कि राज्य द्वारा हस्तांतरित कर वसूली की आड़ में ये लोग प्रजा पर दबाव डालकर प्रत्येक पुत्र के उत्पन्न होने पर तथा प्रत्येक लड़की के व्याह पर अधिकाधिक करों की मांग किया करते थे। अतः सब करदाता मिलकर राजा के पास शिकायत करने गये (सब कैनी हाजर पफेराड़ गया) उनकी शिकायत पर गौर करते हुए महाराज बाजबहादुर चन्द ने नये नियम बनाये, जिसका कठोरता के साथ पालन करने का आदेश दिया गया। इसके अनुसार केवल प्रथम पुत्रोत्पत्ति पर और प्रथम पुत्री के विवाह पर 16 पैंसा 'लसम' ली जाती थी। अंगद गैड़ा को भी 3 पैंसा कम करके केवल 1-पैंसा लसम का अधिकार दिया गया था। लसम लेने वाले सेवक को 'लसमिया सेवक' भी कहा गया है[39]।

अधिक 'नेग' वसूली के सम्बंध में किम्वदन्ति है कि काली कुमाऊँ, वर्तमान चम्पावत में दानव वंशी फुंगर का बोरा पुत्र जन्म पर राज्यभर में 5 रुपया लेने का अधिकारी था। उस समय 5 रुपया

बहुत अधिक मूल्य रखता था। चम्पावत का सगटा नामक ब्राह्मण नामक व्यापार के लिए भोट गया हुआ था। वह 1 रुपया तक कमा लेता था। उसकी स्त्री गर्भवती थी, घर लौटने पर उसके दरवाजे पर नौबत बज रही थी। लोगों ने सगटा को पुत्र जन्म की सूचना दी। सगटा ने कहा-

'आज मेरा सर फूट गया है। 1 रुपया कमाया है 5 गंवाउंगा। सगटा ने गोरिल देवता के मन्दिर में धुनी रमा दी और प्रण किया कि या तो आज मर जाउँगा या बोरा का कर तुड़वा डालूंगा। सगटा ने कार्की से साथ देने को कहा, परन्तु बोरा के सामने सर उठा पाना उसकी सामर्थ्य से बाहर था। तड़ागी-चौधरी भी उससे भयभीत थे अत: कहावत चल पड़ी-

तड़ागी तड़-तड़ करे, चौधर है कंगाल।
अकेला कार्की क्या करे, बोरा संग की मार।।

अंतत: कार्की, तड़ागी, चौधरी सगटा के नेतृत्व में बोरा से लड़ने चल पड़े। यह देखकर बोरा भयभीत हो गया और उसके पैर उखड़ गये। इस प्रकार पुत्र जन्म पर यह कर व्यवस्था सदैव के लिए समाप्त हो गयी[40]।

बहियों में लिखित साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि उक्त वसूल किये गये नेग, दस्तूर अथवा उपकरों का निम्नलिखित निश्चित भाग सीरा के सीरदार द्वारा राजदरबार में जमा किया गया था[41]-

सीरा का सीरदार हाजर (राजदरबार) को पड़-

2 काछ सावर्णी पुन्यु की रछ्या (सावन मास में पूर्णमासी का नजराना)
1 काछ सिरपंचमी को टीका (बसंतपंचमी का टीका)
1 काछ फाग को टीका (होली का टीका)
12 काछ दसैं को टीका (दशमी, हरेला का टीका)
12 काछ रौड़ी को टीका (राजकुमारी के लिए?)
4 काछ वारी को दही को
21 काछ जुवां की वांच (जुऐं पर लगने वाला कर)
6 काछ चैत्राष्टमी को जतिया को मोल (चैत्र मास की अष्टमी को कटने वाले भैंसे का मूल्य)
6 काछ दसैं को जतिया को मोल (दशमी के दिन कटने वाले भैंसे का मूल्य)
1 काछ नन्दाष्टमी को जतिया का मोल (नन्दाष्टमी को कटने वाले भैंसे का मूल्य), 1 हेल्वाण
20 काछ छया सराद को खर्च

20 काछ हुसैनी? तथा 4 लाखा, 4 बोका

12 सैर मैदा, भण्डार को

2 गगरी मह (मधु)

इतना ही पार्वण श्राद्ध को देना पड़ता था।

आश्विन नौर्ता (अक्टूबर मास में पड़ने वाली नवरात्रियों में) देना पड़ता था-

20 रोक?

20 हुसैनी?

4 बोका, 2 गगरी घी, 2 गगरी मह (मधु)

इतना ही द्वादृी को भी देना पड़ता था।

ग्रहण को खर्च

20 रोक

20 हुसैली

त्रिमाधी (माघ मास के प्रथम तीन दिन) को-

16 नाली तील

1 गगरी घी

इसके अतिरिक्त उसे 'गंज' राज भण्डार के लिए 4 सेर मैदा, 4 घड़े मह (मधु), और भात नामक कर के गेहूँ बुतकारों (सेवकों) द्वारा पिसवाकर भिजवाना पड़ता था। फालगुन में डेढ़ सेर हल्दी भी बुतकारों द्वारा पिसवाकर होली का टीका, राजदरबार हेतु भिजवाना पड़ता था।

संदर्भ :-

1. राम सिंह-सोर (मध्य हिमालय) का अतीत, मल्लिका बुक्स दिल्ली, 2007, पृ. 239
2. वही।
3. बही नं0 1, पृ. 16, प्राप्ति-स्व. धर्मानन्द जोशी, ग्राम बत्यूली, पो0 थल, सीरा (डीडीहाट), पिथौरागढ़
4. बही नं0 चन्दों की कर प्रणाली, (अप्रकाशित शोध निबन्ध, कु0वि0वि0 नैनीताल) 1987, पृ. 322
5. लक्ष्मण चन्द का ताम्रपत्र, शाके 1542, त्रिमल चन्द का ताम्रपत्र शाके 1555
6. हसन, नूरल-मध्य-कालीन भारत भाग-1, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 53
7. जोशी, एम.पी.-'सम आस्पेक्टस ऑफ सोसियो-इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ कुमाऊँ ड्यूरिंग द चन्द्र पीरियड (ए.डी. 1250-1790), आई.एच.आर. पृ. 78
8. पाण्डे बी.डी. 633
9. उपरोक्त

10. उपरोक्त
11. बैटन : एन ऑफीसियल रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोभिन्स ऑफ कुमाऊँ पृ0 23
12. नेगी, शंतन सिंह-मध्य हिमालय का सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1988 पृ. 289
13. डबराल- उत्तराखण्ड का इतिहास भाग 4 पृ. 469
14. उपरोक्त
15. पूर्वोक्त
16. जगत चन्द का ताम्रपत्र, शाके 1632, दीपचन्द्र का ताम्रपत्र शाके 1694-95
17. नेगी, वी.डी.एस., कुमाऊँ का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, (अप्रकाशित शोध - निबन्ध कु0वि0वि0 नैनीताल) 1988, पृ. 443
18. वही, नं0 2, पृ. 16
19. वही नं. 3, पृ. 21
20. नीरप्रभा, पूर्वोक्त पृ. 185
21. पाण्डे, बी.डी., 1937, कुमाऊँ का इतिहास, 249, पुर्नमुद्रित, अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा 1997
22. जी.डब्ल्यू. ट्रेल एसियाटिक रिसर्चेज, व0-16, 1828, पृ0-193; एस.डी.पंत, द सोसल इकोनोमी ऑफ दि हिमालयन्स, 1935, पृ. 26,
23. महाराजा बाज बहादुर चन्द द्वारा बनाये गये नियम, शाके 1572, (1650 ई.)
24. बही नं. 3, पृ. 18
25. बही नं. 1, पृ. 3
26. बही नं. 3, पृ. 14
27. बही नं. 1, पृ. 13
28. जोशी प्रयाग-सीरा का देश को दवथर कुमाऊँ राज, रायबरेली, 1996 पृ. 16
29. बही नं. 3, पृ. 16
30. जोशी प्रयाग-सीरा का देश को दवथर 1996 पृ. 18 बही नं. 5, पृ. 3
31. बही नं. 5, पृ. 17
32. बही नं. 5, पृ. 38
33. बही नं. 5, पृ. 40
34. बही नं. 1, पृ. 11
35. बही नं. 2, पृ. 24
36. बही नं. 3, पृ. 34
37. जोशी प्रयाग-पूर्वोक्त पृ. 30
38. उक्त
39. नीर प्रभा-चन्दों की कर प्रणाली तथा तत्कालीन जीवन पर प्रभाव, अप्रकाशित शोध प्रबंध, कु. वि. वि. नैनीताल, 1996, पृ. 139
40. रामसिंह-कालीकुमाऊँ राग-भाग, परिक्रमा, तल्ला-डांडा, नैनीताल, 2002 पृ. 16,
41. बही नं. 3, पृ. 16